

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 8

भेषज विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)												
मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	49.15	38.56	87.71	209.96	48.98	258.94	150.38	44.76	195.14	159.94	51.36	211.30
पूँजी	26.49	9.67	36.16	0.04	0.04	0.08	...	24.25	24.25	0.06	0.04	0.10
जोड़	75.64	48.23	123.87	210.00	49.02	259.02	150.38	69.01	219.39	160.00	51.40	211.40
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	...	...	...	...	...	...	...	...	...	12.66	12.66
2. राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	19.50	...	19.50
	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	80.50	27.48	107.98
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	27.48	127.48
3. राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	5.45	11.21	16.66
4. पीएसयू को सहायता	6857	...	...	...	...	...	...	...	...	0.06	0.04	0.10
5. भेषज उद्योग को सहायता												
5.01 भेषज संवर्धन और विकास योजना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
5.02 फार्मेक्सिल में आईपीआर सुसाध्य केंद्र का सृजन	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
5.03 भेषज उद्योग के विकास की स्कीम	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	12.47	0.01	12.48
5.04 भेषज हेतु डब्ल्यूएचओ - जीएमपी	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
5.05 पूर्वोत्तर और सिक्किम हेतु प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- भेषज उद्योग को सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19.49	0.01	19.50
6. भेषज उद्योग का विकास												
6.01 जन औषधि योजना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	34.99	...	34.99
6.02 पूर्वोत्तर और सिक्किम हेतु प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- भेषज उद्योग का विकास	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35.00	...	35.00
सं.अ. 2015-2016												
7. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	0.72	8.95	9.67	1.00	11.28	12.28	1.00	9.64	10.64	...	...
उद्योग												

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
भेषज उद्योग														
8.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	2852	35.48	20.87	56.35	98.96	27.48	126.44	84.21	27.48	111.69	...	...	...
9.	राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)	2852	2.00	8.74	10.74	5.00	10.21	15.21	3.00	7.64	10.64	...	...	...
10.	भेषज निर्यात संवर्धन योजना (पीईपीएस)	2852	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
11.	भेषज संवर्धन और विकास योजना (पीपीडीएस)	2852	1.45	...	1.45	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
12.	भेषण की अन्य चालू योजनाएं													
12.01	जन औषधि योजना	2852	...	...	...	35.00	...	35.00	16.92	...	16.92	...	...	...
12.02	भेषण पीएसयू के लिए डब्ल्यूएचओ-जीएमआर हेतु महत्वपूर्ण सहायता	2852	6.84	...	6.84	10.00	...	10.00	7.40	...	7.40	...	...	...
12.03	फार्मेक्सिल में आईपीआर सुविधा केन्द्र का सृजन	2852	0.22	...	0.22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.04	बल्क ड्रग्स संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना	2852	...	...	...	22.00	...	22.00	12.00	...	12.00	...	...	...
12.05	भेषण की नई योजनाएं	2852	2.44	...	2.44	15.00	...	15.00	2.85	...	2.85	...	...	...
	जोड़- भेषण की अन्य चालू योजनाएं		9.50	...	9.50	82.00	...	82.00	39.17	...	39.17	...	...	...
जोड़-भेषज उद्योग			48.43	29.61	78.04	187.96	37.70	225.66	128.38	35.12	163.50	...	...	...
जोड़-उद्योग			48.43	29.61	78.04	187.96	37.70	225.66	128.38	35.12	163.50	...	...	...
13.	पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजना/योजना के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00	...	...	...
14.	सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण													
14.01	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि. (एसएसपीएल)	6857	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14.02	बंगाल कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)	6857	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
14.03	बंगाल इम्युनिटी लि. (बीआईएल)	6857	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
14.04	इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)	6857	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
14.05	हिन्दुस्तान एन्टी बायोटेक्स लि. (एच.ए.एल.)	6857	...	...	...	...	0.01	0.01	...	24.25	24.25	...	...	...
	जोड़- सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण		...	...	...	...	0.04	0.04	...	24.25	24.25	...	...	...
15.	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	6857	26.49	9.67	36.16	0.04	...	0.04	...	...	...	...	...	...
16.	वास्तविक वसूलियां	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़			75.64	48.23	123.87	210.00	49.02	259.02	150.38	69.01	219.39	160.00	51.40	211.40

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश														
4.01	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि. (एचएएल)	12857	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...	
4.02	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (वीसीपीएल)	12857	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...	
4.03	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)	12857	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...	
4.04	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आरडीपीएल)	12857	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...	
जोड़			...	...	0.04	...	0.04	...	...	...	...	...	...	
ग. योजना परिव्यय														
1.	रसायन और भेषज उद्योग	12857	74.92	...	74.92	188.00	...	188.00	128.38	...	128.38	140.48	...	140.48
2.	सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	0.72	...	0.72	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00	19.52	...	19.52
जोड़			75.64	...	75.64	210.00	...	210.00	150.38	...	150.38	160.00	...	160.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) - इस संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम चंडीगढ़ के निकट एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में की गई है। इस संस्थान का उद्देश्य भारत में औषधीय शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का संवर्धन करना तथा भारत में औषधीय क्षेत्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी वर्तमान और भावी जरूरतों को पूरा करना है। इस प्रावधान में (i) भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र की चालू तथा नई स्कीमों के लिए दैनिक व्यय तथा आयोजनागत व्यय का प्रावधान, (ii) दैनिक व्यय की पूर्ति हेतु गैर-योजनागत सहायता एवं औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी वर्तमान स्कीमों तथा नई स्कीमों एवं 7 नए नाईपरो की स्थापना हेतु अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता, गुवाहटी, रायबरेली और मुदुरै तथा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक-एक फीस की स्थापना के लिए प्रावधान; उसे (iii) नाईपर के लिए तकनीकी सहायता समूह हेतु व्यय; और (iv) हैदराबाद में राष्ट्रीय थोक औषधि अनुसंधान तथा विकास केंद्र (एनसीआर डीबीडी) की स्थापना हेतु प्रावधान किए गए हैं।

3. **राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए):** सितंबर, 1994 में घोषित नई औषधि नीति के अंग के रूप में विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई थी जिसका दायित्व औषधियों तथा फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन करना तथा तत्संबंधी कार्य करना है। यह निकाय नियंत्रण बाह्य औषधियों तथा फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग भी करता है तथा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है। प्रावधान में मीडिया प्रचारके लिए आबंटन प्राधिकरण के स्थापना व्यय एवं दवा मूल्यों की मानीटरिंग के सुदृढीकरण हेतु व्यय शामिल है।

4. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु सांकेतिक प्रावधान किए गए हैं।

भेषजों को संवर्धन प्रदान करने, विभिन्न सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि को आयोजित करने के लिए

5. **भेषज उद्योग का विकास ::** यह प्रावधान विभिन्न स्कीमों जैसे कि भेषजों को संवर्धन प्रदान करने, विभिन्न सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि को आयोजित करने के लिए भेषज संवर्धन तथा विकास स्कीम (पीपीडीएस) आदि के लिए किया गया है। इसमें क्लस्टर विकास तथा कालाजार एवं टीबी रोधी - एजेंटों की स्कीम तथा विभिन्न नई प्रस्तावित स्कीमों के लिए भी प्रावधाना किया गया है।

6. **जन औषधि स्कीम ::** यह प्रावधान जन औषधि स्कीम के लिए किया गया है।